पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 8663 / अका. / का.प. / 2006 रायपुर, दिनांक : 27.07.2006

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की गुरूवार, दिनांक 27.07.2006 को सम्पन्न आपातिक बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :–

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. ओ.पी. वर्मा	–	सदस्य
3.	डॉ. शशिभूषण	–	सदस्य
4.	डॉ. एच.आर. शर्मा	–	सदस्य
5.	डॉ. हर्षवर्धन तिवारी	–	सदस्य
6.	डॉ. ए.के. बंसल	–	सदस्य
7.	डॉ. सुश्री हेमलता महोबे	–	सदस्य
8.	डॉ. जी.डी. साव	–	सदस्य
9.	डॉ. युगल भारती	–	सदस्य
10.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
11.	श्री रमेश नैयर	–	सदस्य
12.	डॉ. रामखिलावन गुप्ता	–	सदस्य
13.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. कु. शिखा विश्वकर्मा, शोधछात्रा, कम्प्यूटर साइंस के द्वारा डॉ. ओ.पी. व्यास (शोध निर्देशक), विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अ.शा., पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के विरूद्ध लिखित शिकायत एवं जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन पर विचार करना ।

निर्णय : डॉ. ओ.पी. व्यास, आचार्य एवं अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला के विरूद्ध कु. शिखा विश्वकर्मा, शोधछात्रा, कम्प्यूटर अध्ययनशाला ने अपने पत्र दिनांक 12.07.2006 में कुलपतिजी को संबोधित करते हुए शिकायत किया है कि डॉ. ओ.पी. व्यास ने उसकी शोधग्रंथ को गायब किया है । प्रकरण की जाँच करने हेतु विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 457 / सा.प्रशा. / 2006, दिनांक 14.07.2006 को एक जाँच समिति गठित की गई, जिसमें डॉ. एम.ए. खान (समन्वयक), डॉ. शशिभूषण एवं डॉ. उषा दुबे को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया । जाँच समिति ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 21.07.2006 को प्रस्तुत किया है । कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 27.07.2006 को जाँच समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कु. शिखा विश्वकर्मा को पत्र लिखा जावे कि वह पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर शोधग्रंथ एवं शोध संक्षेपिका की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी दोनों कुलसचिव कार्यालय में जमा करें, ताकि कार्यपरिषद के द्वारा प्रकरण पर उचित निर्णय लिया जा सके ।

2. विद्या परिषद की दिनांक 05.06.2006 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है)

निर्णय : अनुमोदन प्रदान किया गया ।

3. दिनांक 04..07.2006 एवं 25.07.2006 को सम्पन्न विद्या परिषद की स्थायी समिति के बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना । (कार्यवृत्त संलग्न है)

निर्णय : अनुमोदन प्रदान किया गया ।

4. निम्नलिखित महाविद्यालयों को शोधकेन्द्र के रूप में मान्यता के सम्बन्ध में विचार करना ।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	विषय	शोध उपाधि समिति की बैठक की तिथि (जिसमें शोधकेन्द्र के रूप में मान्यता की अनुशंसा की गई)
1.	भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, दुर्ग	1. सिविल इंजीनियरिंग 2. इलेक्ट्रिकल इंजी.	04.04.2005 17.11.2005
2.	पं.जे.एन.एम. मेडिकल कॉलेज, रायपुर	बायोकेमेस्ट्री	24.01.2006
3.	छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, कोलिहापुरी, दुर्ग	कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग	17.12.2005
4.	शास. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव	1. रसायन 2. अर्थशास्त्र	19.04.2005 15.04.2005
5.	शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग	1. समाजशास्त्र 2. अर्थशास्त्र 3. प्राणीशास्त्र 4. भू—विज्ञान 5. गणित	20.04.2005 15.04.2005 23.04.2005 25.04.2005 07.04.2005
6.	शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर	अर्थशास्त्र	15.04.2005
7.	कल्याण महाविद्यालय, भिलाई नगर	गणित	07.04.2005

विभागीय टीप :— कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.06.2005 में यह निर्णय लिया गया था कि क्या यू.जी.सी. अथवा अन्य केन्द्रीय संस्थाओं के द्वारा कोई नये निर्देश अथवा मार्गदर्शक सिद्धांत है । इस हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं ए.आई.सी.टी.ई. के पास दिनांक 22.09.2005 एवं 14.11.2005 को पत्र लिखा गया परन्तु वहॉ से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में इंटरनेट वेबसाइट से नये निर्देश/मार्गदर्शन ढूंढा गया, जिसमें कोई नये निर्देश/मार्गदर्शन इस संबंध में नहीं है । अतः प्रकरण पुनः कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय : क्रमांक 1 एवं 3 में उल्लेखित महाविद्यालयों के शोधकेन्द्रों के रूप में मान्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि चूँकि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई अस्तित्व में आ चुका है, अतः इन तकनीकी महाविद्यालयों के शोधकेन्द्र, शोध निर्देशक एवं शोधछात्र से संबंधित समस्त दस्तावेज छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई भेजा जाये । शेष क्रमांक 2, 4, 5, 6 एवं 7 में उल्लेखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित विषयों हेतु शोधकेन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई ।

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 8664/अका./का.प./2006 रायपुर, दिनांक : 27.07.2006

प्रतिलिपि :—

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को ।
3. जनसंपर्क अधिकारी/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्ताधिकारी/आवासीय अंकेक्षक,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव (अका.)